

संचालनालय महिला एवं बाल विकास, म0प्र0
“विजयाराजे वात्सल्य भवन” 28-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल, (म.प्र.) 462011

दूरभाष: 0755-2550909 फैंक्स: 0755-2550912 वेब साईट-www.mpwcdmis.gov.in, mpwcd.nic.in

ईमेल: onesc.we@mp.gov.in, commicds@mp.gov.in

क्रमांक / मबावि / शिका / 2022-23 / 10
प्रति,

भोपाल दिनांक 09 / 01 / 2023

उपसचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषय:- सुश्री सृष्टि दिक्षित सोनी से प्राप्त शिकायत का जांच प्रतिवेदन विषयक।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रं 2338 / 996214 / 2022 / 50-2 भोपाल, दिनांक 5.12.2022, टी.एल क्रं 1059।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में उल्लेखित शिकायत के संबंध में पुलिस अधीक्षक जिला जबलपुर से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो निम्नानुसार है:-

• आवेदिका द्वारा घटना से संबंधित तथ्यों के विषय में किसी प्रकार के साक्ष्य विडियो/फोटो उपलब्ध नहीं कराये गये हैं न ही आवेदिका का घटना से प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। प्रस्तुत शिकायत में गर्भवती महिला का बिना किसी चिकित्सकीय सहायता के प्रसव कराना माँ और बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु होना बताया गया है, जो निराधार है। मृतिका की माँ गौरा बाई द्वारा दिनांक 17.10.2022 को थाना प्रभारी पनागर को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 11.10.2022 को प्रस्तुत शिकायत को निरस्त कराने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्ष सामाजिक मान्यता के अनुसार मृतिका एवं गर्भावस्था शिशु का अंतिम संस्कार किया जाना पाया गया है। घटना के संबंध में कोई प्रमाणित विडियो या फोटोग्राफी उपलब्ध नहीं है। उक्त शिकायत जांच में मृतिका के मायके पक्ष के द्वारा राधा बाई की शादी में मिले सामान का लेकर वाद विवाद होना व समझौता न होने पर ससुराल पक्ष के विरुद्ध शिकायत करना पाया गया है।

कृपया उक्त प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



(राजपाल कौर)

अपर संचालक

महिला एवं बाल विकास, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 09.01.2023

पृ.क्रमांक / मबावि / शिका / 2022-23 / 11
प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग प्लॉट-21, जमोला इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली की ओर प्रकरण क्र. 8/26158/2022/NCW/MEM/AY दिनांक 25.11.2022 के संबंध में सूचनार्थ।
2. सुश्री सृष्टि दिक्षित सोनी, अधिवक्ता राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो, 62 मैन रोड, सदर कैट, जबलपुर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।


अपर संचालक

महिला एवं बाल विकास म.प्र.



कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जबलपुर (म०प्र०)
दूरभाष- 0761-2676111, फैक्स- 2676222
E-masil- sp_jabalpur@ mppolice.gov.in

क्रमांक - पुअ / जबल / शिका० / आयोग / 429 / 2022

दिनांक 03.01.2023

प्रति,

संयुक्त संचालक,
महिला एवं बाल विकास,
"विजयराजे वाल्सल्य भवन" 28-ए,
अरेरा हिल्स, भोपाल (म०प्र०)-462011

विषय:- सुश्री सृष्टि दीक्षित सोनी, अधिवक्ता राष्ट्रीय विधिक सलाहकार (महिला विंग),
राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो भोपाल से प्राप्त आवेदन पर
कार्यवाही किये जाने बावत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक- ओ.एस.सी. / मबावि / शिका. / 2022 / 922 भोपाल,
दिनांक 13.12.2022

-00-

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, आवेदिका सुश्री सृष्टि दीक्षित सोनी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र की जांच नगर पुलिस अधीक्षक, आधारताल, जबलपुर से कराई जाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है।

शिकायत जांच पर पाया गया कि आवेदिका द्वारा घटना से संबंधित तथ्यों के विषय में किसी प्रकार के साक्ष्य वीडियो/फोटो उपलब्ध नहीं कराये गये हैं न ही आवेदिका का घटना से प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। प्रस्तुत शिकायत में गृभवती महिला का बिना किसी चिकित्सकीय सहायता के प्रसव कराना माँ और बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु होना बताया गया है जो निराधार है। मृतिका की माँ गौरा बाई द्वारा दिनांक 17.10.2022 को थाना प्रभारी पनागर को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 11.10.2022 को प्रस्तुत शिकायत को निरस्त कराने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्ष सामाजिक मान्यता के अनुसार मृतिका एवं गृर्भावस्था शिशु का अंतिम संस्कार किया जाना पाया गया है। घटना के संबंध में कोई प्रमाणित वीडियो या फोटोग्राफी उपलब्ध नहीं है। उक्त शिकायत जांच में मृतिका के मायके पक्ष के द्वारा राधा बाई की शादी में मिले सामान को लेकर वाद विवाद होना व समझौता न होने पर ससुराल पक्ष के विरुद्ध में शिकायत करना पाया गया है।

प्रतिवेदन अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

प्रतिलिपि:- जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

पुलिस अधीक्षक
जिला जबलपुर

पुलिस अधीक्षक
जिला जबलपुर